/

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. /राजस्व/तीन/2023–24/ 1460 कोरबा, दिनांक 28/4/2023

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत निगम की शासकीय भूमि एवं भवन, तथा निजी भूमि एवं भवन पर एल.ई.डी. बोर्ड विज्ञापन प्रसारण करने हेतु 03 वर्ष के लिए निविदा आमंत्रित की जाती । विस्तृत शर्ते निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर देखे जा सकते है।

क्र.	क्षेत्र एवं कार्य का नाम	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	लीज अवधि 05 वर्ष	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	निविदा प्रपत्र जमा/प्रस्तुत करने/खोलने की अंतिम तिथि
1	06 नग एल.ई.डी. विज्ञापन बोर्ड स्थापना कार्य	1,00,000/-	750/-	03 वर्ष	15/05/2023	16/05/2023	18/05/2023

1. निविदा प्रपत्र की प्रतियां नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्यो हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर ऊपर लिखित तिथि को सायं 5.00 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा डाक द्वारा मंगाना हो तो रूपये 50/– अधिक भेजना होगा तथा निविदा प्रपत्र समय पर मिलने अथवा न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी ।
2. निविदा प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदार को ऑनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि आयकर प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, आधार नंबर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जावेगा ।
3. अमानत राशि के रूप में जमा बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं मूल निविदा प्रपत्र की सील बंद निविदायें 03 लिफाफा में देना होगा। उपरोक्त निविदा का निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाइट **www.korbamunicipal.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है। लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक/एफडीआर एवं निविदा प्रपत्र यदि वेबसाइट से डाउन लोड किया गया हो तो उसके मूल्य का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक/डीडी भरकर देना होगा। लिफाफा 'ब' में ठेकेदार का आनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि, विगत निर्धारण वर्ष 2022–23 का आय कर विवरणी की प्रतिलिपि, पेन नं., आधार नंबर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तो को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसके प्रत्येक कंडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तो को भर कर देना होगा। लिफाफा 'स' में मूल निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित हो भरकर देना होगा। लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही लिफाफा 'स' खोला जावेगा एवं निगम की काली सूची में दर्ज फर्म का भी लिफाफा नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरकर देना होगा।
4. पूर्ण रूप से भरे हुऐ निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि 18/05/2023 को 3:00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्रर्ड डाक के माध्यम से जमा की जा सकती है जो कि उसी दिन सायं 4:00 बजे निविदा कर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।
5. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा ।
6. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
7. निविदा स्वीकृत /अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को रहेगा ।
8. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा का रहेगा ।
9. निविदा की शर्त एवं बोर्ड लगाने की स्थान की जानकारी निगम कार्यालय में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध किया जा सकता है।
10. अन्य जानकारी नगर पालिक निगम "साकेत भवन" कोरबा कार्यालय एवं (**www.korbamunicipal.in**) से प्राप्त की जा सकती है।
11. जोन में दर्शित होर्डिंग्स की संख्या आवश्यकता एवं स्थल अनुसार कम अथवा ज्यादा करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम कोरबा
(छत्तीसगढ़)

D:\Word file\23-24 holding\L.E.D. Board\Tender 2023.doc

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

एल.ई.डी विज्ञापन/होडिंग्स नीलामी/निविदा की शर्तें :-

1. निगम क्षेत्रांतर्गत एल.ई.डी बोर्ड स्थापित करने हेतु धरोहर राशि रू. 1,00,000/– जमा करना होगा। निगम क्षेत्रांतर्गत शासकीय भूमि एवं भवन, तथा निजी भूमि एवं भवन पर एल.ई.डी बोर्ड **06** नग विज्ञापन प्रसारण करना निर्धारित है। जिसमें उच्चतम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की राशि वापसी योग्य होगी। उच्चतम निविदाकर्ता स्वयं के व्यय से एल.ई.डी. बोर्ड स्थापित करेगा।
2. निविदा प्रपत्र स्वच्छता से भरा जावें कॉट–छॉट होने पर निविदा अस्वीकार की जा सकेगी एवं जिसमें केवल पंजीकृत एजेंसी/निविदाकर्ता ही भाग ले सकते हैं।
3. एल.ई.डी. बोर्ड निगम के शासकीय भूमि एवं भवन **दर 305/– रूपये** प्रति वर्गफुट (वार्षिक) आफसेट दर निर्धारित किया गया है। उक्त आफसेट **दर में 18%** जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। एल.ई.डी. की साईज के अनुसार वार्षिक किराया देय होगा। विज्ञापन एजेंसी लगने वाले एल.ई.डी. बोर्ड की साईज की अनुमति आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा की स्वीकृति के पश्चात ही लगाया जा सकेगा।
4. एल.ई.डी. बोर्ड हेतु एक ग्रुप के लिए जमा अमानत राशि में केवल एक ग्रुप हेतु निविदा दर दी जा सकती है। प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक–पृथक लिफाफे में निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से की जा सकती है।
5. **यह कि निविदा में निर्धारित एक ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप का उल्लेख करने पर निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी अर्थात प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक–पृथक लिफाफे में निविदा फार्म ही मान्य होगा। निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।**
6. सीलबंद निविदाए 03 लिफाफा पद्धति से देना होगा। अमानत राशि के रूप में जमा बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं मूल निविदा प्रपत्र की सील बंद निविदायें 03 लिफाफा में देना होगा। उपरोक्त निविदा का निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाइट **korbamunicipal.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है। लिफाफा '**अ**' में निर्धारित अमानत राशि का बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं निविदा प्रपत्र यदि वेबसाइट से डाउन लोड किया गया हो तो उसके मूल्य का बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/डीडी भरकर देना होगा। लिफाफा '**ब**' में ठेकेदार का ऑनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि, विगत निर्धारण वर्ष **2022–23** की आय का विवरणी की प्रतिलिपि, पेन नं., आधार नंबर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तो को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसके प्रत्येक कंडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तो को भर कर देना होगा। लिफाफा '**स**' में मूल निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित हो भरकर देना होगा। लिफाफा '**अ**' एवं '**ब**' में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही लिफाफा '**स**' खोला जावेगा एवं निगम की काली सूची में दर्ज फर्म का भी लिफाफा नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में होगा तथा निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरकर देना होगा।
7. उच्चतम निविदाकर्ता को ही विज्ञापन का अधिकार प्रदान किया जावेगा।
8. एल.ई.डी. बोर्ड का निचला हिस्सा सड़क से न्यूनतम 8 फीट ऊपर रखना होगा।
9. एल.ई.डी. बोर्ड का ऊपरी हिस्सा अधिकतम 18 फीट ऊँचा रखा जा सकेगा, परन्तु 50 फीट से अधिक परिमाप के एल.ई.डी. की दशा में अथवा संवेदनशील स्थानों अथवा संवेदनशील रूप से लगाए जा रहे एल.ई.डी. की दशा में, अधीक्षक विज्ञापनकर्ता से एल.ई.डी. की सुरक्षा व स्थिरता

के संबंध में प्रमाणित स्ट्रक्चर यंत्री द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। एल.ई.डी. बोर्ड के ऊपरी हिस्से में लाल लाइट लगाना होगा।
स्पष्टीकरण :—संवेदनशील बिन्दु/स्थान/रीति जैसे मामलों में विवाद की स्थिति में आयुक्त का अभिमत अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10. एल.ई.डी. बोर्ड (मीडिया डिवाइस) के उपयोग में लाई गई सामग्री प्रदूषण रहित, अग्निरोधी होना चाहिए। किसी छत के स्तर से लटकते हुये मीडिया डिवाइस लगाना वर्जित है। मीडिया डिवाइस अप्रतिबिम्बित होना चाहिए ताकि मार्ग में चालक पर चमक या चौंध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किसी प्रकरण से विधि विरूद्ध विज्ञापन प्रचार नहीं किये जावेगा। जैसे :— कामवासना, पशु क्रुरता, देशद्रोह, अश्लील, ऐसी मदों सेवाओं या वस्तुओं का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रूप से विज्ञापन नहीं किया जावेगा।

11. एल.ई.डी. बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत एल.ई.डी. (मीडिया डिवाइस) बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढ़ंग से एजेन्सी द्वारा लगाये जायेगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुघर्टना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।

12. निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तो को अथवा किसी भी शर्त को शिथिल कर सकेगे।

13. एल.ई.डी. बोर्ड लगाने की अवधि 03 वर्ष के लिए होगी प्रतिवर्ष के बाद किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी वार्षिक शुल्क एकमुश्त निविदा स्वीकृति होने के 15 दिवस के अन्दर जमा कर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर लीज अनुबंध कराना होगा अन्यथा उनकी निविदाएं स्वयमेव निरस्त समझी जावेंगी तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेंगी।

14. उच्चतम निविदाकर्ता एजेंसी को 10 प्रतिशत विज्ञापन बोर्ड आवश्यकता होने पर निगम के लिए आरक्षित रखना होगा।

15. निविदाएं स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को होगा।

16. शासन द्वारा या नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा समय—समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा अश्लील एवं आपत्तिजनक लेख से संबंधित एल.ई.डी. बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किये जा सकेगे। नोटिस दिये जाने पर 48 घंटे के अन्दर हटाना अनिवार्य होगा। अन्यथा जप्ति की कार्यवाही की जावेगी, निगम द्वारा हटाने पर होने वाला व्यय निविदाकर्ता से वसूली योग्य होगा।

17. निगम द्वारा पूर्व में अनुबंधित एल.ई.डी. विज्ञापन एजेंसी से विवाद/आपत्ति होने पर निराकरण किया जावेगा। निराकरण नहीं होने की स्थिति में निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

18. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना दिनांक 7.08.2012 क्रमांक 5—13/18/2011—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432—अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उप —धारा (23) के अंतर्गत आदर्श उपविधि अनुसार नगर पालिक निगम, कोरबा में अंगीकृत की गई है।

19. उच्चतम निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन नगर प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 5–13/18/2011–छत्तीसगढ़ दिनांक 7.08.2012 के अधीन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–अ में वचन बद्ध निष्पादन के उपरांत एवं अनुबंध के पश्चात् ही एल.ई.डी. विज्ञापन बोर्ड लगाया जावेगा। अनुबंध दिनांक से किराया एवं विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभावशील होगा।

20. एल.ई.डी बोर्ड लगाते समय चयनित स्थल का अवलोकन प्रभारी अधिकारी को कराना होगा तथा प्रभारी अधिकारी स्वीकृति के पश्चात ही एल.ई.डी. लगाया जावेगा।

21. एल.ई.डी बोर्ड के लिए बनाये गये स्ट्रक्चर मजबूत होने चाहिए, बोर्ड लगाने के एक सप्ताह के भीतर एजेंसी के लायसेंसी इंजीनियर का स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निगम द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए बगैर सूचना दिये ऐसे एल.ई.डी. को हटवा दिया जावेगा।

22. एजेंसी द्वारा लगाये गये एल.ई.डी. बोर्ड से यदि कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

23. निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम कोरबा की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

24. निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात एक माह के अन्दर लगाये गये विज्ञापन को हटाना होगा। निविदाकर्ता के द्वारा विज्ञापन एल.ई.डी. नहीं हटाये जाने पर नगर पालिक निगम कोरबा को अधिकार होगा कि विज्ञापन एल.ई.डी. को हटाकर जप्त कर सकेंगे एवं क्षतिपूर्ति राशि विज्ञापन ऐजेंसी को देना होगा।

25. निगम द्वारा निर्धारित संख्या एवं साईज के अनुरूप ही शुल्क एजेन्सी को देना होगा। यदि चाहे एजेन्सी द्वारा वास्तव में लगाये एल.ई.डी. की संख्या अथवा साईज कम हो या अधिक हो तो इनकी अनुमति आयुक्त से लेना होगा एवं इनका शुल्क अतिरिक्त देना होगा।

26. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को जमा करना होगा तत्पश्चात ही उनके अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकेगा।

27. ऐसी एजेंसिया जिन पर निगम की विज्ञापन संबंधी राशि बकाया हो उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जा सकेगी।

28. निजी भूमि एवं भवनों में विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए भू–स्वामी की अनुमति एवं भवन निर्माण अनुमति तथा वर्तमान तक का संपत्तिकर जमा होना अनिवार्य है। ऐसे निजी भूमि एवं भवनों के लिए प्राप्त उच्चतम निविदा दर में 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जावेगी।

29. निगम क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों के भूमि में बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के एल.ई.डी. बोर्ड स्थापित नहीं किया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र निगम कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसे लगे बोर्डो को संबंधित संस्था के द्वारा अथवा निगम के द्वारा हटा दिया जावेंगा। जिसके लिए किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

30. एल.ई.डी. बोर्ड लगाने हेतु अनुबंध 03 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। प्रत्येक वर्ष समाप्ति के एक माह पूर्व किराया राशि जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

31. एल.ई.डी बोर्ड की शर्तो में समय–समय पर परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा को रहेगा।

32. एल.ई.डी. बोर्ड की संख्या कम या ज्यादा करने अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा को होगा।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

d/word file/L.E.D

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म शुल्क – 750/–
रसीद क्रमांक व दिनांक ....

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :– नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत एल.ई.डी. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत्।

––00––

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत एल.ई.डी. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु निर्धारित शर्तो के तहत् सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तो की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच–समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	कार्य विवरण	एल.ई.डी बोर्ड की संख्या	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट वार्षिक)
1.	निगम क्षेत्रांतर्गत शा. भूमि एवं भवन, तथा निजी भूमि एवं भवन पर एल.ई.डी. बोर्ड 06 नग	06 नग	रू. 305.00 वार्षिक	03 वर्ष	अंकों में :.. शब्दों में : ....

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रू. .... (शब्दों में) .... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक ....बैंक का नाम .... में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे एल.ई.डी. विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्ते मुझे मान्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम – ....
पिता/पति का नाम – ....
स्थायी पता –..
....
मोबाईल नं.–..